अनुपालन

प्रश्न 1. खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 का प्रवर्तन क्या है?

उत्तरः खाद्य कारोबारियों द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2006 और उसके अंतर्गत बने नियमों और विनियमों का अनुपालन सुनिश्चत करने की जिम्मेदारी।

प्रश्न 2. प्रवर्तन कैसे किया जाता है?

उत्तरः प्रवर्तन खाद्य सुरक्षा विभागों के अधिकारियों द्वारा की गई निगरानी, मॉनिटरिंग, निरीक्षण और खाद्य उत्पादों के यादृच्छिक प्रतिचयन के आधार पर किया जाता है।

प्रश्न 3. खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2006 के कार्यान्वयन और प्रवर्तन की जिम्मेदारी किसकी होती है? अथवा भारत में खाद्य अधिनियम के तहत विनियामक प्राधिकरण कौन है?

उत्तर : भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण और राज्य खाद्य प्राधिकारी खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2006 के कार्यान्वयन और प्रवर्तन के लिए संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं, जिसके विवरण खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2006 की धारा 29 में दिए गए हैं।

प्रश्न 4 : खाद्य कारोबारियों के संबंध में प्रवर्तन गतिविधियाँ किस प्रकार की जाती हैं?

उत्तर : प्रवर्तन मुख्य रूप अभिनामित अधिकारियों और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के साथ–साथ सभी राज्यों/केंद्रशासित क्षेत्रों के खाद्य सुरक्षा आयुक्तों द्वारा किया जाता है।

प्रश्न 5 : उपभोक्ता एफ.एस.एस.ए.आई की प्रवर्तन गतिविधियों के बारे में जानकारी कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं?

उत्तर : इसके विवरण एफ.एस.एस.ए.आई की सरकारी वेबसाइट https://www.fssai.gov.in पर उपलब्ध हैं।

प्रश्न 6 : क्या खाद्य सुरक्षा अधिकारी की कोई जिम्मेदारी होती है और क्या उस द्वारा अपनी जिम्मेदारी न निभाए जाने पर उसके विरुद्ध कोई प्रवर्तन गतिविधि की जा सकती है?

उत्तर : यदि खाद्य सुरक्षा अधिकारी अधिनियम की धारा 39 के तहत उल्लिखित अपराध का दोषी पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध दंड लगाया जा सकता है, जो एक लाख रुपये तक हो सकता है। परंतु यह भी कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी के विरुद्ध शिकायत झूठी पाए जाने पर शिकायती के विरुद्ध दंड लगाया जा सकता है, जो पचास हजार रुपये से कम न होगा और एक लाख रुपये तक हो सकता है।

प्रश्न 7 : सुधार का नोटिस क्या होता है और इसे कौन जारी करता है?

उत्तर : सुधार का नोटिस अभिनामित अधिकारी द्वारा जारी किया गया वह नोटिस होता है, जो खाद्य कारोबारी के खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2006 की धारा 32 में उल्लिखित विनियमों का पालन न करने पर जारी किया जाता है।

प्रश्न 8 : अभिनामित अधिकारी किन परिस्थितियों में लाइसेंस को स्थगित कर सकता है?

उत्तर : जब खाद्य कारोबारी सुधार के नोटिस का अनुपालन न करे तो उसका लाइसेंस स्थगित किया जा सकता है।

प्रश्न 9 : अभिनामित अधिकारी किन परिस्थितियों में लाइसेंस को रद्द कर सकता है?

उत्तर : जब खाद्य कारोबारी सुधार के नोटिस का अनुपालन न करे, तो अभिनामित अधिकारी उसे कारण बताने का उचित अवसर देने के बाद उसका लाइसेंस रद्द कर सकता है।

प्रश्न 10 : क्या सुधार के नोटिस, लाइसेंस के निलंबन/निरसन के विरुद्ध कोई अपील फाइल की जा सकती है?

उत्तर : हाँ, सुधार के नोटिस से व्यथित कोई खाद्य कारोबारी राज्य के खाद्य सुरक्षा आयुक्त को अपील कर सकता है, जिसका निर्णय अंतिम होगा। उसे अपने राज्य/संघशासित क्षेत्र की खाद्य सुरक्षा ट्रिब्यूनल/उच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है।

प्रश्न 11 : खाद्य सुरक्षा आयुक्त के समक्ष अपील करने की समय सीमा क्या होती है?

उत्तर : अपील करने के इच्छुक व्यक्ति को निर्णय का नोटिस जारी करने की तिथि से पंद्रह दिनों के अंदर अथवा सुधार के नोटिस में विहित अवधि, जो भी पहले समाप्त हो रही हो।

प्रश्न 12 : दंड किन–किन धाराओं के अंतर्गत लगाए जाते हैं?

उत्तर : अपराधों और दंडों संबंधी उपबंध धारा 48 के तहत दिए गए हैं। दंड के उपबंध अधिनियम की धारा 49 से 67 तक में किए गए हैं। इनका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :

धारा	अपराध	कवर किए गए व्यक्ति	कारागार	दंड (रुपये)	छोटे उत्पादक
50	खाद्य विक्रेता द्वारा वांछित गुणता का न होने पर; अधिनियम के अनुसार न होने पर	विक्रेता	-	2 लाख	दंड रु. 25,000/-
51	घटिया खाद्य	उत्पादक, विक्रेता, भंडार, वितरक, आयातक	-	5 लाख	-
52	गलत ब्रांड का खाद्य	– वही –	-	3 लाख	-
53	भ्रामक विज्ञापन : झूठे विवरण अथवा	प्रकाशक अथवा प्रकाशित करने वाला कोई व्यक्ति	-	10 लाख	-

धारा	अपराध	कवर किए गए व्यक्ति	कारागार	दंड (रुपये)	छोटे उत्पादक
	प्रकृति अथवा गुणता अथवा पदार्थ				
54	खाद्य में बाहरी सामग्री होने पर	उत्पादक, विक्रेता, भंडार, वितरक, आयातक	-	1 लाख	-
55	खाद्य सुरक्षा अधिकारी के निर्देशों का अपालन	खाद्य कारोबारी अथवा आयातक	-	2 लाख	-
56	अस्वच्छत अथवा गंदा प्रसंस्करण अथवा उत्पादन	उत्पादक अथवा प्रसंस्कर्ता	-	1 लाख	-

प्रश्न 13 : खाद्य वापसी और इसका प्रयोजन क्या है?

उत्तर : ''वापसी'' से तात्पर्य खाद्य कारोबारी द्वारा किसी ऐसे खाद्य को बाजार से वापस लेने के लिए की गई कार्रवाई है जो खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 28 का अनुपालन न करता हो।

प्रश्न 14 : क्या ऑनलाइन आवेदन करने के बाद केंद्रीय लाइसेंस के लिए क्षेत्रीय कार्यालय में भौतिक कागजात प्रस्तुत करने आवश्यक हैं?

उत्तर : नहीं। केंद्रीय लाइसेंस के लिए क्षेत्रीय कार्यालय में भौतिक प्रलेख प्रस्तुत करने आवश्यक नहीं। खाद्य कारोबारी अपने लॉग–इन पासवर्ड की सहायता से एफएलआरएस प्रणाली पर अपने आवेदन की स्थिति जान सकते हैं। संबंधित अभिनामित अधिकारी को अतिरिक्त कागजात की आवश्यकता होने पर उन्हें वह

एफएलआरस सिस्टम के माध्यम से ही मांगेगा, न कि ई–मेल अथवा पत्र द्वारा। खाद्य कारोबारी अपडेटों की जानकारी के लिए सिस्टम को नियमित रूप से देखेगा।

प्रश्न 15 : लाइसेंस में संशोधन की फीस क्या है?

उत्तर : संशोधन से लाइसेंस प्रमाण–पत्र (फॉर्म सी) में दी गई सूचना में कोई परिवर्तन होने पर लाइसेंस में संशोधन के लिए आवेदन करना होगा, जिसके लिए एक वर्ष की लाइसेंस फीस के बराबर फीस देनी होगी। फॉर्म सी से इतर विवरणों में संशोधन के लिए कोई शुल्क नहीं।

प्रश्न 16 : खाद्य कारोबारी को एसएमस/ई–मेल किस चरण पर भेजे जाते हैं?

उत्तर : खाद्य कारोबारी को आईडी बनने, लाइसेंस/पंजीकरण के नवीकरण के समय तथा अभिनामित अधिकारी द्वारा आवेदन खाद्य कारोबारी को अतिरिक्त सूचना देने/उसमें परिवर्तन करने के लिए भेजने के समय।

प्रश्न 17 : लाइसेंस के नवीकरण के समय भौतिक रूप से जारी किए गए लाइसेंस को ऑनलाइन लाइसेंस में कैसे परिवर्तित किया जाए?

उत्तर : खाद्य कारोबारी संबंधित क्षेत्र के संबंधित अभिनामित अधिकारी से संपर्क कर सकता है। अभिनामित अधिकारी यूजर आईडी बनाएगा और आपको सिस्टम–जनरेटिड नई लाइसेंस संख्या देगा, जिसका ऑनलाइन नवीकरण कराया जा सकता है।

प्रश्न 18 : भौतिक रूप से जारी किए गए लाइसेंस को ऑनलाइन लाइसेंस में बदलवाने के क्या लाभ हैं?

उत्तर : इससे लाइसेंस के नवीकरण के समय कम से कम प्रलेखों की आवश्यकता होगी। नई लाइसेंस संख्या के साथ पुरानी लाइसेंस संख्या भी दी जाएगी। खाद्य कारोबारी आवेदन पर कार्रवाई के समय उसकी स्थिति जान सकेगा।

प्रश्न 19 : वार्षिक विवरणी कैसे फाइल की जाए?

उत्तर :

- केवल मर्चेंट निर्यातक ऑनलाइन सिस्टम से तिमाही वार्षिक रिपोर्ट फाइल कर सकता है।

- दूध अथवा दुग्ध उत्पादों का उत्पादन करने वाला खाद्य कारोबारी फॉर्म डी–2 में अर्ध वार्षिक विवरणी फाइल करेगा और 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक की तथा 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक की विवरणी संबंधित केंद्रीय/राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकारी को उस अवधि के समाप्त होने के एक माह के अंदर भौतिक रूप से प्रस्तुत करेगा।
- उत्पादकों और आयातकों को वार्षिक विवरणी फॉर्म डी–1 में फाइल करनी होगी और वह पिछले वर्ष के दौरान हैंडल की गई हर खाद्य श्रेणी की विवरणी हर वर्ष 31 मई अथवा उससे पहले संबंधित केंद्रीय/राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकारी को भौतिक रूप से प्रस्तुत करेगा।

प्रश्न 20 : सहायी प्रलेख कैसे डाउनलोड किए जाएँ?

उत्तर : खाद्य कारोबारी प्रस्तुत किए जाने वाले कागजात की सूची लॉग–इन पेज पर ''Supporting Documents'' लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकता है।

प्रश्न 21 : आयातक के आईईसी कोड का दुहराव

उत्तर : आयातक पहले प्रस्तुत एक ही आईईसी कोड से दूसरा आवेदन तब तक नहीं कर सकता जब तक पहले प्रस्तुत अधूरे आवेदन को मिटा नहीं देता।

प्रश्न 22 : लाइसेंस की विभिन्न श्रेणियाँ कौन सी होती हैं?

उत्तर : खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य कारबार का अनुज्ञापन और रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 2011 के अनुसार खाद्य कारोबारियों को लाइसेंस और पंजीकरण त्रि–स्तरीय प्रणाली से जारी किए जाते हैं अर्थात्,–

- पंजीकरण
- राज्य लाइसेंस
- केंद्रीय लाइसेंस

विभिन्न श्रेणियों में आने वाले खाद्य कारोबारियों की सूची

पंजीकरण	**केंद्रीय लाइसेंस**	**राज्य लाइसेंस**
• कोई खाद्य वस्तु स्वयं बेचने वाले उत्पादक अथवा छोटा खुदरा विक्रेता, फेरी वाला, घुमंतु विक्रेता अथवा अस्थायी स्टाल वाला; अथवा कैटरर को छोड़कर खाद्य का वितरक, धार्मिक अथवा सामाजिक समारोह के वितरक सहित; • ऐसे अन्य कोई खाद्य कारोबार, जिनमें खाद्य कारोबार से संबंधित लघु स्तर का अथवा कुटीर उद्योग अथवा ऐसे अन्य उद्योग अथवा छोटे खाद्य कारोबार शामिल हैं, जिनका सालाना टर्नओवर 12 लाख रुपये से अधिक न हो और/ अथवा जिनकी • खाद्य उत्पादन क्षमता (दूध अथवा दुग्ध उत्पादों तथा मांस और मांस उत्पादों को छोड़कर) 100 किग्रा/लीटर प्रति दिन से अधिक न हो, अथवा • दूध की प्राप्ति अथवा हैंडलिंग अथवा संग्रहण प्रति दिन 500 लीटर तक हो, अथवा	• 50,000 लीटर द्रव दूध प्रति दिन अथवा 2500 मीट्रिक टन दुग्ध ठोस प्रति वर्ष से अधिक हैंडल करने वाली डेयरी इकाइयाँ, दुग्ध प्रशीतन ईकाइयों सहित। • वनस्पति तेल का प्रसंस्करण करने वाली ईकाइयाँ और विलायक निष्कर्षण पद्धति से वनस्पति तेल का उत्पादन करने वाली ईकाइयाँ और रिफाइनरियाँ, तेल निष्कर्षण ईकाइयों सहित, जिनकी संस्थापित क्षमता 2 एमटी प्रति दिन से अधिक हो। • 50 से अधिक बड़े पशु अथवा 150 या इससे अधिक छोटे पशु, भेड़–बकरियों सहित, अथवा 1000 या इससे अधिक कुक्कुट पक्षी प्रति दिन मारने में क्षम सभी बूचड़खाने। • 500 किग्रा मांस प्रति दिन अथवा 150 एमटी प्रति वर्ष हैंडल करने अथवा प्रोसेस करने में क्षम मांस प्रसस्करण ईकाइयाँ। • ऊपर (I) से (IV) के तहत वर्णित ईकाइयों का छोड़कर सभी खाद्य प्रसंस्करण ईकाइयाँ, रिलेबलरों और रिपैकरों सहित, जिनकी संस्थापित क्षमता 2 एमटी प्रति दिन हो, अनाजों, धान्यों और दालों	सभी खाद्य कारोबारी, कॉलम 1 और 2 में उल्लिखित कारोबारियों को छोड़ करं अनाजों, धान्यों और दालों की सभी मिलिंग ईकाइयाँ

पंजीकरण	केंद्रीय लाइसेंस	राज्य लाइसेंस
• वध करने की क्षमता प्रति दिन 2 बड़े पशु अथवा 10 छोटे पशु अथवा 50 कुक्कुट पक्षी हो अथवा इनसे कम हो।	की मिलिंग यूनिटों को छोड़कर। • 100% निर्यातकर्ता ईकाइयाँ। • वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए खाद्य वस्तुओं, जिनमें खाद्य संघटक और खाद्य सहयोज्य पदार्थ शामिल हैं, के सभी आयातक। • किसी ऐसे मालिकाना खाद्य, जिसके लिए एफएसएसएआई ने अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी कर दिया हो, का उत्पादन/प्रसंस्करण/आयात करने वाले सभी खाद्य कारोबारी। • दो या अधिक राज्यों में कारोबार वाले खाद्य काराबारियों के पंजीकृत कार्यालय/मुख्यालय। • केंद्रीय सरकार की एजेंसियों, जैसे रेलवे, हवाई अड्डे, बंदरगाह, रक्षा इत्यादि, के तहत स्थापित स्थापनाओं और ईकाइयों की खाद्य कैटरिंग सेवाएँ। • 5 स्टार या उससे ज्यादा के प्रत्यायन वाले होटल। • सभी ई–कॉमर्स खाद्य कारोबार।	

प्रश्न 23 : पंजीकरण के क्या मानदंड हैं?

उत्तर :

- पंजीकरण उन लघु अथवा सूक्ष्म खाद्य कारोबारियों के किए जाते हैं, जिनका वार्षिक टर्नओवर रु. 12 लाख से अधिक न हो।
- पंजीकरण पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा किया जाता है, जो अभिनामित अधिकारी/खाद्य सुरक्षा अधिकारी अथवा राज्य के खाद्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा अधिसूचित पंचायत, नगर निगम अथवा क्षेत्र में अन्य किसी स्थानीय संस्था अथवा पंचायत का अधिकारी हो सकता है।
- पंजीकरण के लिए आवेदन करते समय आवश्यक प्रलेख :
    - अनुसूची–1 में विहित आवेदन
    - शुल्क रु. 100/– प्रति वर्ष
    - पते का प्रमाण (सरकारी कागज जैसे वोटर आईडी)
    - आवेदक का फोटो।
- पंजीकरण कार्ड को कारोबार के परिसर के प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित किया जाए।

प्रश्न 24. कौन से कारोबार का चयन किया जाए?

उत्तर :

- डेयरी ईकाइयाँ
- वनस्पति तेल प्रसंस्करण ईकाइयाँ
- बूचड़खाने

- मांस प्रसंस्करण ईकाइयाँ
- 100% निर्यातकर्ता ईकाइयाँ
- आयातक
- मछली/मांस/कुक्कुट की दुकान/विक्रेता
- संस्थापनाओं और ईकाइयों में खाद्य कैटरिंग सेवाएँ।

प्रश्न 25. खाद्य श्रेणीकरण कोड क्या हैं?

उत्तर : खाद्य कारोबारी अपनी खाद्य श्रेणी का चयन निम्नलिखित सूची से कर सकते हैं:

क्रम सं0	(नामरहित कॉलम)	नाम
1	1	डेयरी उत्पाद और सदृश उत्पाद, खाद्य श्रेणी 2.0 के उत्पादों को छोड़कर
2	1.1	दूध और डेयरी आधारित पेय
3	1.1.1	दूध और छाछ (सादा)
4	1.1.1.1	दूध (सादा)
5	1.1.1. 2	छाछ (सादा)
6	1.1.2	डेयरी–आधारित पेय – सुवासित दूध और/अथवा किण्वित

क्रम सं0	(नामरहित कॉलम)	नाम
7	1.2	किण्वित और जमाए हुए दुग्ध उत्पाद (सादा), खाद्य श्रेणी 01.1.2 (डेयरी–आधारित पेय) को छोड़कर, किण्वित दुग्ध उत्पाद, योगर्ट, सुवासित योगर्ट, दही, सुवासित दही, मिष्टी दही
8	1.2.1	किण्वित दूध (सादा)
9	1.2.1. 1	किण्वित दूध (सादा), किण्वन के बाद ताप–उपचार न किया हुआ
10	1.2.1. 2	किण्वित दूध (सादा), किण्वन के बाद ताप–उपचार किया हुआ
11	1.2.2	जमाया हुआ दूध (सादा)
12	1.3	संघनित दूध और सदृश उत्पाद (सादा)
13	1.3.1	संघनित दूध (सादा), वाष्पित दूध, मीठा संघनित दूध
14	1.3.2	बीवरेज व्हाइटनर
15	1.4	क्रीम (सादा) और सदृश क्रीम और मलाई
16	1.4.1	पाश्च्युरीकृत क्रीम (सादा), क्रीम और मलाई

क्रम सं0	(नामरहित कॉलम)	नाम
17	1.4.2	रोगाणुरहित और यूएचटी क्रीमें, अल्प वसा क्रीम और फेंटी हुई क्रीम, और वसा–न्यूनीकृत क्रीमें (सादा)
18	1.4.3	थक्केदार मलाई (सादा)
19	1.4.4	क्रीम–सदृश उत्पाद
20	1.5	दुग्ध पाउडर और क्रीम पाउडर और पाउडर सदृश उतपाद (सादा)
21	1.5.1	दुग्ध पाउडर और क्रीम पाउडर (सादा)
22	1.5.2	दूध और क्रीम पाउडर सदृश उत्पाद
23	1.6	पनीर और सदृश उत्पाद
24	1.6.1	कच्चा पनीर
25	1.6.2	तैयार पनीर (चेद्दार, डैनबो, एडाम, गौडा, हावटी, टिलिसाइटर, कैमम्बेर्ट, ब्राई, सैंट पोलीन, सैमसो, एमेनटेलर, प्रोवोलोन, अति सख्त ग्रेटिंग/कत्लेदार/कटा हुआ/कसा हुआ पनीर)
26	1.6.2. 1	तैयार पनीर, रिंड सहित

क्रम सं0	(नामरहित कॉलम)	नाम
27	1.6.2. 2	तैयार पनीर का रिंड
28	1.6.2. 3	पनीर पाउडर (पुनर्संघटन के लिए; उदाहरणार्थ चीज सॉस के लिए)
29	1.6.3	व्हे चीज
30	1.6.4	प्रसंस्कृत पनीर
31	1.6.4. 1	सादा प्रसंस्कृत पनीर
32	1.6.4. 2	सुवासित प्रसंस्कृत पनीर; फल, सब्जी, मांस इत्यादि वाले पनीरों सहित
33	1.6.5	पनीर सदृश उत्पाद
34	1.6.6	व्हे प्रोटीन पनीर
35	1.7	डेयरी–आधारित डेजर्ट (उदाहरणार्थ पुडिंग, फल अथवा सुवासित योगर्ट)
36	1.8	व्ह और व्हे उत्पाद, व्हे चीज को छोड़कर
37	1.8.1	द्रव व्हे और व्हे उत्पाद, व्हे चीज को छोड़कर

क्रम सं0	(नामरहित कॉलम)	नाम
38	1.8.2	शुष्कित व्हे और व्हे उत्पाद, व्हे चीज व्हे पाउडर को छोड़कर
39	2	वसा और तेल, और वसा पायस
40	2.1	जल से अनिवार्यतः मुक्त वसा और तेल
41	2.1.1	घी, निर्जल दुग्ध वसा
42	2.1.2	वनस्पति तेल और वसा
43	2.1.3	सूअर की चर्बी, गाय की चर्बी, मछली का तेल और अन्य पशु वसाएँ (खाद्य वसा)
44	2.2	वसा पायस, मुख्तः जल–तेल प्रकार
45	2.2.1	मक्खन (मक्खन और दुग्ध वसा)
46	2.2.2	फैट स्प्रैड, डेयरी फैट स्प्रैड और सम्मिश्र स्प्रैड
47	2.3	वसा पायस, मुख्यतः तेल–जल प्रकार, मिश्र और/अथवा सुवासित उत्पाद–आधारित आूनफैट पायस
48	2.4	वसा–आधारित डेजर्ट, खाद्य श्रेणी 1.7 के डेयरी–आधारित डेजर्ट उत्पादों को छोड़कर

क्रम सं0	(नामरहित कॉलम)	नाम
49	2.4.1	कोको–आधारित स्प्रैड, फिलिंगों सहित
50	3	खाद्य बर्फ, शरबत सहित
51	4	फल और सब्जियाँ (खुमी और कवक, कंद–मूल, दालों और फलियों, और एलू वेरा सहित), समुद्री अपतृण, और गिरियाँ तथा बीज
52	4.1	फल
53	4.1.1	ताजा फल
54	4.1.1. 1	अनुपाचारित ताजा फल
55	4.1.1. 2	सतह–उपचारित ताजा फल
56	4.1.1. 3	छिले अथवा कटे हुए ताजा फल
57	4.1.2	प्रसंस्कृत फल
58	4.1.2. 1	प्रशीतित फल
59	4.1.2. 2	सूखे फल, गिरियाँ और बीज

क्रम सं0	(नामरहित कॉलम)	नाम
60	4.1.2. 3	सिरका, तेल, अथवा लवण जल–सिक्त फल
61	4.1.2. 4	डिब्बाबंद अथवा बोतलबंद (पाश्च्युरीकृत) फल
62	4.1.2. 5	जैम, जैली और मार्मलेड
63	4.1.2. 6	फल–आधारित स्प्रैड (उदाहरणार्थ चटनी), खाद्य श्रेणी 4.1.2.5 के उत्पादों को छोड़कर
64	4.1.2. 7	पगे हुए/ग्लेज्ड/रवाकृत फल, मुरब्बा सहित
65	4.1.2. 8	फलों से बनी चीजें; गूदा, शोरबा, फल टोपिंगों और कोकोनट दूध सहित
66	4.1.2. 9	फल–आधारित डेजर्ट, फलीय सुवास वाले जल–आधारित डेजर्टों सहित
67	4.1.2. 10	किण्वित फल उत्पाद
68	4.1.2. 11	पेस्ट्रियों के लिए फलों की फिलिंगें
69	4.1.2. 12	पके फल
70	4.2	सब्जियाँ (खुमी और कवक, कंद–मूल, दालों और फलियों और एलू वेरा सहित), समुद्री अपतृण, और गिरियाँ तथा बीज

क्रम सं0	(नामरहित कॉलम)	नाम
71	4.2.1	ताजा सब्जियाँ (खुमी और कवक, कंद–मूल, दालों और फलियों और एलू वेरा सहित), समुद्री अपतृण, और गिरियाँ तथा बीज)
72	4.2.1. 1	अनुपचारित ताजा सब्जियाँ (खुमी और कवक, कंद–मूल तथा सोयाबीन सहित दाल और फलियाँ, और एलू वेरा सहित), समुद्री अपतृण, और गिरियाँ तथा बीज
73	4.2.1. 2	सतह–उपचारित ताजा सब्जियाँ (खुमी और कवक, कंद–मूल, दालों और फलियों और एलू वेरा सहित), समुद्री अपतृण, और गिरियाँ तथा बीज)
74	4.2.1. 3	छिली हुई, कटी हुई अथवा कसी हुई ताजा सब्जियाँ (खुमी और कवक, कंद–मूल, दालों और फलियों और एलू वेरा सहित), समुद्री अपतृण, और गिरियाँ तथा बीज
75	4.2.2	प्रसंस्कृत सब्जियाँ (खुमी और कवक, कंद–मूल, दालों और फलियों और एलू वेरा सहित), समुद्री अपतृण, और गिरियाँ तथा बीज
76	4.2.2. 1	प्रशीतित सब्जियाँ (खुमी और कवक, कंद–मूल, दालों और फलियों और एलू वेरा सहित), समुद्री अपतृण, और गिरियाँ तथा बीज
77	4.2.2. 2	सूखी सब्जियाँ (खुमी और कवक, कंद–मूल, दालों और फलियों और एलू वेरा सहित), समुद्री अपतृण, और गिरियाँ तथा बीज
78	4.2.2. 3	सब्जियाँ (खुमी और कवक, कंद–मूल, दालों और फलियों और एलू वेरा सहित), और सिरका, तेल, लवण जल, अथवा सोयाबीन सॉस में डला समुद्री अपतृण

क्रम सं0	(नामरहित कॉलम)	नाम
79	4.2.2. 4	डिब्बाबंद अथवा बोतलबंद (पाश्च्युरीकृत) अथवा रिटोर्ट पाउच सब्जियाँ (खुमी और कवक, कंद–मूल, दालों और फलियों और एलू वेरा सहित), और समुद्री अपतृण
80	4.2.2. 5	सब्जियाँ (खुमी और कवक, कंद–मूल, दालों और फलियों और एलू वेरा सहित), समुद्री अपतृण, और गिरियाँ तथा बीज, शोरबा और स्प्रैड (उदाहरणार्थ मूँगफली स्प्रैड)
81	4.2.2. 6	सब्जियाँ (खुमी और कवक, कंद–मूल, दालों और फलियों और एलू वेरा सहित), समुद्री अपतृण, और गिरियाँ तथा बीज, गूदे और खाद्य श्रेणी 4.2.2.5 को छोड़कर अन्य निर्मितियाँ (उदाहरणार्थ वेजिटेबल डेजर्ट और सॉस, पगी हुई सब्जियाँ)
82	4.2.2. 7	किण्वित सब्जियाँ (खुमी और कवक, कंद–मूल, दालों और फलियों और एलू वेरा सहित), समुद्री अपतृण उत्पाद, खाद्य श्रेणी 06.8.6, 06.8.7, 12.9.1, 12.9.2.1 और 12.9.2.3 के सोयाबीन किण्वित उत्पादों को छोड़कर
83	4.2.2. 8	पकी हुई अथवा तली हुई सब्जियाँ (खुमी और कवक, कंद–मूल, दालों और फलियों और एलू वेरा सहित), और समुद्री अपतृण
84	5	मिष्टान्न
85	5.1	कोको उत्पाद और चॉकलेट उत्पाद, सदृश उत्पादों और चॉकलेट विकल्पियों सहित
86	5.1.1	कोको मिश्र (पाउडर) और कोको मास/केक

क्रम सं0	(नामरहित कॉलम)	नाम
87	5.1.2	कोको मिश्र (सिरप)
88	5.1.3	कोको और चॉकलेट उत्पाद
89	5.1.4	चॉकलेट विकल्पी और उनके उत्पाद
90	5.2	मिष्टान्न, खाद्य श्रेणी 5.1, 5.3 और 5.4 को छोड़कर सख्त और नरम कैंडी, नौगट इत्यादि सहित
91	5.2.1	सख्त कैंडी
92	5.2.2	नरम कैंडी
93	5.2.3	नौगट और मार्जिपैन
94	5.3	च्युइंग गम
95	5.4	सजावटी सामग्रियाँ (उदाहरणार्थ फाइन बेकरी की चीजों के लिए), टोपिंगें (गैर फल वाली), और मीठे सॉस
96	6	धान्य और धान्य उत्पाद, धान्य अनाजों, कंद–मूलों, दालों, फलियों और गूदे अथवा पॉम वृक्ष के मृदु कोर से व्युत्पन्न, खाद्य श्रेणी 7.0 की बेकरी की चीजों को छोड़कर

क्रम सं0	(नामरहित कॉलम)	नाम
97	6.1	साबुत, दले हुए अथवा कुटे खाद्य, चावल सहित
98	6.2	आटे और मांड (सोयाबीन पाउडर सहित)
99	6.2.1	आटे
100	6.2.2	मांड
101	6.3	तैयार खाद्य धान्य, नाश्ते के धान्य, रोल्ड ओट
102	6.4	पास्ता और नूडल और सदृश उत्पाद (उदाहरणार्थ राइस पेपर, चावल की सेवइयाँ, सोयाबीन के पास्ता और नूडल)
103	6.4.1	ताजा पास्ता और नूडल और सदृश उत्पाद
104	6.4.2	सूखे पास्ता और नूडल और सदृश उत्पाद
105	6.4.3	पूर्व–पके पास्ता और नूडल और सदृश उत्पाद
106	6.5	धान्य/दालें और मांड–आधारित डेजर्ट
107	6.6	लापसियाँ

क्रम सं0	(नामरहित कॉलम)	नाम
108	6.7	पूर्व पके अथवा प्रसंस्कृत धान्य/अनाज/फली उत्पाद
109	6.8	सोयाबीन उत्पाद (श्रेणी 12.9 के सोयाबीन–आधारित सीजनिंग और मसाले)
110	6.8.1	सोयाबीन–आधारित बीवरेज
111	6.8.2	सोयाबीन–आधारित बीवरेज फिल्म
112	6.8.3	सोयाबीन दही (टोफू)
113	6.8.4	अर्ध–निर्जल सोयाबीन दही
114	6.8.4. 1	गाढ़ी ग्रेवी में दम अर्ध–निर्जल सोयाबीन दही
115	6.8.4. 2	अति तली अर्ध–निर्जल सोयाबीन दही
116	6.8.4. 3	अर्ध–निर्जल सोयाबीन दही, खाद्य श्रेणी 6.8.4.1 और 6.8.4.2 को छोड़कर
117	6.8.5	निर्जल सोयाबीन दही (कोरी टोफू)
118	6.8.6	किण्वित सोयाबीन (उदाहरणार्थ नट्टो, टेम्पे)

क्रम सं0	(नामरहित कॉलम)	नाम
119	6.8.7	किण्वित सोयाबीन दही
120	6.8.8	अन्य सोयाबीन प्रोटीन उत्पाद
121	7	बेकरी उत्पाद
122	7.1	ब्रेड और बेकरी की सादा चीजें और मिश्र
123	7.1.1	ब्रेड और रोल, खमीरी ब्रेडों सहित, स्पेशलटी ब्रेड और सोडा ब्रेड
124	7.1.1. 1	खमीरी ब्रेड और स्पेशलटी ब्रेड
125	7.1.1. 2	सोडा ब्रेड
126	7.1.2	क्रैकर
127	7.1.3	बेकरी के अन्य सादा उत्पाद
128	7.1.4	ब्रेड जैसे उत्पाद, ब्रेड स्टफिंग और ब्रेड क्रंब सहित
129	7.1.5	भाप से पकी ब्रेड और बन

क्रम सं0	(नामरहित कॉलम)	नाम
130	7.1.6	ब्रेड और बेकरी की सादा चीजों के मिलावे
131	7.2	बेकरी की फाइन चीजें (मीठी, नमकीन, मसालेदार) और मिश्र
132	7.2.1	केक, कुकी, बिस्कुट, क्रैकर और पाई
133	7.2.2	बेकरी के अन्य फाइन उत्पाद
134	7.2.3	बेकरी की फाइन चीजों के मिलावे
135	8	मांस और मांस उत्पाद, कुक्कुट सहित
136	8.1	ताजा/प्रशीतित/शीतित कीमा और कुक्कुट
137	8.1.1	ताजा/प्रशीतित/शीतित मांस, कुक्कुट, साबुत अथवा कटे टुकड़े
138	8.1.2	ताजा/प्रशीतित/शीति मांस, कुक्कुट, विखंडित
139	8.2	प्रसंस्कृत मांस और कुक्कुट उत्पाद, साबुत अथवा कटा
140	8.2.1	गैर ताप–उपचारित प्रसंस्कृत मांस और कुक्कुट उत्पाद, साबुत अथवा कटे

क्रम सं0	(नामरहित कॉलम)	नाम
141	8.2.1. 1	संसाधित (नमकीन सहित) गैर ताप–उपचारित प्रसंस्कृत मांस और कुक्कुट उत्पाद, साबुत अथवा कटे
142	8.2.1. 2	संसाधित (नमकीन सहित) और सूखा प्रसंस्कृत मांस और कुक्कुट उत्पाद, साबुत अथवा कटे
143	8.2.1. 3	किण्वित गैर ताप–उपचारित प्रसंस्कृत मांस और कुक्कुट उत्पाद, साबुत अथवा कटे
144	8.2.2	ताप–उपचारित प्रसंस्कृत मांस और कुक्कुट उत्पाद, साबुत अथवा कटे
145	8.2.3	प्रशीतित प्रसंस्कृत मांस और कुक्कुट उत्पाद, साबुत अथवा कटे
146	8.3	प्रसंस्कृत विखंडित मांस और कुक्कुट उत्पाद
147	8.3.1	गैर ताप–उपचारित प्रसंस्कृत विखंडित मांस और कुक्कुट उत्पाद
148	8.3.1. 1	संसाधित (सहित) गैर ताप–उपचारित प्रसंस्कृत विखंडित मांस और कुक्कुट उत्पाद
149	8.3.1. 2	संसाधित (नमकीन और सूखे गैर ताप–उपचारित प्रसंस्कृत विखंडित मांस और कुक्कुट उत्पाद)
150	8.3.1. 3	किण्वित गैर ताप–उपचारित प्रसंस्कृत विखंडित मांस और कुक्कुट उत्पाद
151	8.3.2	ताप–उपचारित विखंडित मांस और कुक्कुट उत्पाद (डिब्बाबंद सूअर की रान, डिब्बाबंद लंचियन मांस, डिब्बाबंद कटा मांस)

क्रम सं0	(नामरहित कॉलम)	नाम
152	8.3.3	प्रशीतित प्रसंस्कृत विखंडित मांस और कुक्कुट उत्पाद
153	8.4	खाद्य केसिंग (उदाहरणार्थ सॉसेज केसिंग)
154	9	मछली और मछली उत्पाद; घोंगों, क्रस्टासियन, और एकाइनोडर्म सहित
155	9.1	ताजा मछली और मछली उत्पाद; घोंगों, क्रस्टासियन, और एकाइनोडर्म सहित
156	9.1.1	ताजा मछली
157	9.1.2	ताजा घोंगे, क्रस्टासियन, और एकाइनोडर्म
158	9.2	प्रसंस्कृत मछली और मछली उत्पाद; घोंगों, क्रस्टासियन, और एकाइनोडर्म सहित
159	9.2.1	ताजा मछली, मछली फिलेट और मछली उत्पाद; घोंगों, क्रस्टासियन, और एकाइनोडर्म सहित (प्रशीतित श्रिम्प, प्रशीतित लोबस्टर, प्रशीतित स्क्विड, प्रशीतित फिन फिश और प्रशीतित फिश फिलेट)
160	9.2.2	प्रशीतित बेसन लगी मछली, मछली फिलेट और मछली उत्पाद; घोंगों, क्रस्टासियन, और एकाइनोडर्म सहित
161	9.2.3	प्रशीतित कीमा और क्रीमी मछली उत्पाद; घोंगों, क्रस्टासियन, और एकाइनोडर्म सहित

क्रम सं0	(नामरहित कॉलम)	नाम
162	9.2.4	पकी हुई और/अथवा तली हुई मछली और मछली उत्पाद; घोंगों, क्रस्टासियन, और एकाइनोडर्म सहित
163	9.2.4. 1	पकी मछली और मछली उत्पाद
164	9.2.4. 2	पके हुए घोंगे, क्रस्टासियन, और एकाइनोडर्म
165	9.2.4. 3	तली हुई मछली और मछली उत्पाद; घोंगों, क्रस्टासियन, और एकाइनोडर्म सहित
166	9.2.5	धूमित, शुष्कित, किण्वित, और/अथवा लवणित मछली और मछली उत्पाद; घोंगों, क्रस्टासियन, और एकाइनोडर्म सहित
167	9.3	अर्ध–परिरक्षित मछली और मछली उत्पाद; घोंगों, क्रस्टासियन, और एकाइनोडर्म सहित
168	9.3.1	मछली और मछली उत्पाद; घोंगों, क्रस्टासियन, और एकाइनोडर्म सहित, मसालेदार और/अथवा जैली डूबी
169	9.3.2	मछली और मछली उत्पाद; घोंगों, क्रस्टासियन, और एकाइनोडर्म सहित, अचार और/अथवा लवणित
170	9.3.3	सामन विकल्पी, कैवियार और अन्य मछली अंडा उत्पाद
171	9.3.4	अर्ध–परिरक्षित मछली और मछली उत्पाद; घोंगों, क्रस्टासियन, और एकाइनोडर्म सहित (उदाहरणार्थ फिश पेस्ट), खाद्य श्रेणी 9.3.1–9.3.3 के उत्पादों को छोड़कर

क्रम सं0	(नामरहित कॉलम)	नाम
172	9.4	पूरी तरह परिरक्षित, डिब्बाबंद और किण्वित सहित, मछली और मछली उत्पाद; घोंगों, क्रस्टासियन, और एकाइनोडर्म सहित
173	10	अंडा और अंडा उत्पाद
174	10.1	ताजा अंडे
175	10.2	अंडा उत्पाद
176	10.2. 1	द्रव अंडा उत्पाद
177	10.2. 2	प्रशीतित अंडा उत्पाद
178	10.2. 3	शुष्कित और/अथवा ताप–स्कंदित अंडा उत्पाद
179	10.3	परिरक्षित अंडे; क्षारीय, लवणित, और डिब्बाबंद अंडे
180	10.4	अंडा–आधारित डेजर्ट
181	11	मीठाकारक, शहद सहित

क्रम सं0	(नामरहित कॉलम)	नाम
182	11.1	शोधित और अशोधित शर्कराएँ
183	11.1. 1	सफेद शर्करा, डेक्स्ट्रोज एनहाइड्रस, डेक्स्ट्रोज मोनोहाइड्रेट, फ्रुक्टोज
184	11.1. 2	बूरा, पाउडर डेक्स्ट्रोज
185	11.1. 3	मृदु सफेद शर्करा, मृदु ब्राउन शूगर, ग्लुकोज सिरप, शुष्कित ग्लुकोज सिरप, अशोधित गन्ना शर्करा, खंडसारी शर्करा (सल्फर शूगर), बूरा
186	11.1. 3.1	शर्करा मिष्टान्न बनाने के लिए प्रयुक्त शुष्कित ग्लुकोज सिरप
187	11.1.3.2	शर्करा मिष्टान्न (गोल्डन सिरप) बनाने के लिए प्रयुक्त शुष्कित ग्लुकोज सिरप
18 8	11.1. 4	लैक्टोज
189	11.1. 5	प्लांटेशन अथवा मिल व्हाइट शूगर (प्लांटेशन व्हाइट शूगर, क्यूब शूगर, मिश्री)
190	11.1. 6	जैगरी और गुड़
191	11.2	ब्राउन शूगर, खाद्य श्रेणी 11.1.3 के उत्पादों को छोड़कर

क्रम सं0	(नामरहित कॉलम)	नाम
192	11.3	शर्करा विलयन और सिरप, (अंशतः) इन्वर्टिड भी, राब और खंडसारी सहित, खाद्य श्रेणी 11.1.3 के उत्पादों को छोड़कर
193	11.4	अन्य शर्कराएँ और सिरप
194	11.5	शहर
195	11.6	टेबल–टॉप स्वीटनर, उच्च तीव्रता स्वीटनरों (सैक्करीन सोडियम, एस्पार्टम, एसीसल्फेमपोटाशियम, सूक्रलोज) से युक्त स्वीटनरों सहित
196	12	लवण, मसाले, सूप, सॉट, सलाद और प्रोटीन उत्पाद
197	12.1	लवण और लवण विकल्पी
198	12.1. 1	लवण (सामान्य खाद्य नमक, लौह–पौष्टिकीकृत नमक, आयोडीनयुक्त नमक सहित)
199	12.1. 2	लवण विकल्पी
200	12.2	जड़ी–बूटियाँ, मसाले, सीजनिंग और कंडीमेंट (उदाहरणार्थ इन्सटैंट नूडलों के लिए सीजनिंग)
201	12.2. 1	जड़ी–बूटियाँ, स्पाइस; मसालों सहित
202	12.2. 2	सीजनिंग और कंडीमेंट

क्रम सं0	(नामरहित कॉलम)	नाम
203	12.3	सिरके
204	12.4	सरसों
205	12.5	सूप और शोरबे
206	12.5. 1	तैयार खाद्य सूप और शोरबे; डिब्बाबंद, बोतलबंद, और प्रशीतित सहित
207	12.5. 2	सूपों और शोरबों के मिलावे
208	12.6	सॉस और सदृश उत्पाद
209	12.6.1	पायसीकृत सॉस और डिप्स (उदाहरणार्थ मेयोनेज, सलाद ड्रेसिंगें, ओनियन डिप्स)
210	12.6. 2	गैर–पायसीकृत सॉस (उदाहरणार्थ केचअप, चीज सॉस, क्रीम सॉस, ब्राउन ग्रेवी)
211	12.6. 3	सॉस और ग्रेवी के मिलावे
212	12.6. 4	पारदर्शी सॉस
213	12.7	सलाद और सैंडविच स्प्रैड; खाद्य श्रेणी 4.2.2.5 और 5.1.3 के कोको और गिरी–आधारित स्प्रैडों को छोड़कर

क्रम सं0	(नामरहित कॉलम)	नाम
214	12.8	खमीर और सदृश उत्पाद
215	12.9	सोयाबीन–आधारित सीजनिंग और कंडीमेंट
216	12.9. 1	किण्वित सोयाबीन पेस्ट
217	12.9. 2	सोयाबीन सॉस
218	12.9. 2.1	किण्वित सोयाबीन सॉस
219	12.9. 2.2	गैर–किण्वित सोयाबीन सॉस
220	12.9. 2.3	अन्य सोयाबीन सॉस
221	12.1	सोयाबीन से इतर प्रोटीन उत्पाद
222	13	विशिष्ट आहार विषयक उपयोग हेतु आशयित खाद्य सामग्रियाँ
223	13.1	शिशु फॉर्मूला, अनुवर्ती फॉर्मूला, और शिशुओं के लिए विशेष चिकित्सीय प्रयोजनों के फॉर्मूला
224	13.1. 1	शिशु फॉर्मूला

क्रम सं0	(नामरहित कॉलम)	नाम
225	13.12	अनुवर्ती फॉर्मूला
226	13.1. 3	शिशुओं के लिए विशेष चिकित्सीय प्रयोजन के लिए फॉर्मूले
227	13.2	शिशुओं और छोटे बच्चों के लिए अनुपूरक आहार
228	13.3	विशेष चिकित्सीय प्रयोजन के लिए आशयित आहारिक खाद्य (खाद्य श्रेणी 13.1 के उत्पादों को छोड़कर)
229	13.4	पतला होने और वजन घटाने का आहारिक फॉर्मूला
230	13.5	आहारिक खाद्य (उदाहरणार्थ आहारिक उपयोग के लिए पूरक खाद्य), खाद्य श्रेणी 13.1–13.4 और 13.6 के उत्पादों को छोड़कर
231	13.6	खाद्य पूरक
232	14	बीवरेज, डेयरी उत्पादों को छोड़कर
233	14.1	गैर–एल्कोहलीय (''सोफ्ट'') बीवरेज
234	14.1. 1	जल
235	14.1. 1.1	प्राकृतिक खनिज जल और स्रोत जल

क्रम सं0	(नामरहित कॉलम)	नाम
236	14.1. 1.2	टेबल वाटर और सोडा वाटर
237	14.1. 2	फल और सब्जी रस
238	14.1. 2.1	फल रस (औद्योगिक प्रयोग के लिए फल रस, तापीय प्रसंस्कृत फल रस)
239	14.1. 2.2	सब्जी रस (औद्योगिक प्रयोग के लिए सब्जी रस, तापीय प्रसंस्कृत सब्जी रस, तापीय प्रसंस्कृत टमाटर का रस)
240	14.1. 2.3	फल रस सांद्र (औद्योगिक उपयोग के लिए सांद्र फल रस)
241	14.1. 2.4	सब्जी रस सांद्र (औद्योगिक उपयोग के लिए सांद्र सब्जी रस)
242	14.1. 3	फल और सब्जी मकरंद
243	14.1. 3.1	फल मकरंद
244	14.1. 3.2	सब्जी मकरंद
245	14.1. 3.3	फल मकरंद सांद्र
246	14.1. 3.4	सब्जी मकरंद सांद्र

क्रम सं0	(नामरहित कॉलम)	नाम
247	14.1. 4	जल–आधारित सुवासित पेय, ''स्पोर्ट'', ''ऊर्जा'' अथवा ''इलेक्ट्रोलाइट'' पेयों और पार्टीकुलेटिड पेयों सहित, जिसमें कोर्बोनेटिड फल बीवरेज, फलयुक्त कार्बोनेटिड बीवरेज शामिल हैं
248	14.1. 4.1	कार्बोनेटिड जल–आधारित सुवासित पेय
249	14.1. 4.2	गैर–कार्बोनेटिड जल–आधारित सुवासित पेय; पंचों और एड्स सहित, अदरक का कॉकटेल (अदरक की बीअर और जिंजरेल), तापीय प्रसंस्कृत फल बीवरेज/फल पेय/तैयार फल बीवरेज
250	14.1. 4.3	जल–आधारित सुवासित पेयों के लिए सांद्र (द्रव अथवा ठोस) (डिस्पेंशरों के लिए संश्लेषित सिरप, शरबत (संश्लेषित सिरप)), स्क्वैश, क्रश, फल सिरप, कॉर्डियल और जौ जल
251	14.1. 5	कॉफी, कॉफी विकल्प, चाय, हर्बल इन्फ्यूजन, और अन्य हॉट सिरियल तथा ग्रेन बीवरेज, कोको को छोड़कर
252	14.2	एल्कोहलीय बीवरेज, एल्कोहल–मुक्त और अल्प–एल्कोहलीय बीवरेजों सहित
253	14.2. 1	बीअर और माल्ट बीवरेज
254	14.2. 2	साइडर और पेरी
255	14.2. 3	ग्रेप वाइन

क्रम सं0	(नामरहित कॉलम)	नाम
256	14.2. 3.1	स्टिल ग्रेप वाइन
257	14.2. 3.2	स्पार्कलिंग और सेमी–स्पार्कलिंग ग्रेप वाइन
258	14.2. 3.3	फोर्टिफाइड ग्रेप वाइन, ग्रेप लिकर वाइन, और स्वीट ग्रेप वाइन
259	14.2. 4	वाइनें (ग्रेप वाइन को छोड़कर)
260	14.2. 5	शहद की मदिरा
261	14.2. 6	15 प्रति शत से अधिक एल्कोहल वाले आसुत स्प्रिटुअस बीवरेज
262	14.2. 7	सुगंधित एल्कोहलीय बीवरेज
263	15	सेवन के लिए तैयार मसालेदार खाद्य
264	15.1	स्नैक्स और सेवरीज – आलू, धान्य, आटा अथवा मांड–आधारित (कंद–मूलों, दालों और फलियों से)
265	15.2	प्रसंस्कृत गिरियाँ, कोटिड गिरियों और गिरी–मिश्रण सहित
266	15.3	स्नैक्स – मछली–आधारित

क्रम सं0	(नामरहित कॉलम)	नाम
267	1.3.2. 1	गैर–डेयरी–आधारित बीवरेज व्हाइटनर

प्रश्न 28 : केंद्रीय/राज्य लाइसेंस के लिए अपलोड किए जाने वाले/संलग्न किए जाने वाले प्रलेख कौन–कौन से हैं?

उत्तर : केंद्रीय/राज्य लाइसेंस लेने के लिए संलग्न किए जाने वाले प्रलेख (यह सूची केवल संकेतात्मक है और जब तक उल्लिखित न हो अनिवार्य नहीं है):

- पूरी तरह भरा हुआ और प्रोप्रायटर/सहभागी अथवा प्राधिकृत हस्ताक्षरी द्वारा हस्ताक्षरित फार्म–बी (दो प्रतियों में) (सभी श्रेणियों के लिए आवश्यक)
- प्रसंस्करण ईकाई का ब्ल्यू प्रिंट/ले आउट प्लान, जिसमें आयाम मीटरों/वर्गमीटरों में दर्शाए गए हों और क्षेत्र का आबंटन कार्य के अनुसार दर्शाया गया हो (केवल उत्पादन और प्रसंस्करण ईकाइयों के लिए अनिवार्य),
- निदेशकों की सूची, जिसमें उनके पूरे पते और संपर्क विवरण हों (केवल कंपनियों के लिए अनिवार्य),
- उपकरणों और मशीनों के नाम और उनकी सूची, जिसमें उनकी संख्या, संस्थापित क्षमता और प्रयुक्त होर्स पावर दशायी गई हो (केवल उत्पादन और प्रसंस्करण ईकाइयों के लिए अनिवार्य),
- प्रोप्रायटर/सहभागी/निदेशकों/प्राधिकृत हस्ताक्षरी के सरकारी प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए फोटो आईडी और पते के प्रमाण (ऐच्छिक),
- उत्पादित की जाने वाली खाद्य श्रेणियाँ (उत्पादकों के लिए),
- उत्पादक द्वारा नामित जिम्मेदार व्यक्ति का नाम और पता दर्शाता हुआ उसके पक्ष में प्राधिकार–पत्र। साथ ही जिम्मेदार विकल्पी का विवरण, जिसमें उनमें निहित शक्तियों, यथा निरीक्षणों के दौरान अधिकारियों को नमूने लेने, पैकिंग और डिस्पैच में सहायता प्रदान करना (केवल उत्पादकों और प्रसंस्कर्ताओं के लिए अनिवार्य),

- किसी मान्यता–प्रदत्त/जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला से खाद्य में संघटक के रूप में प्रयोग किए जाने वाले जल की विश्लेषण रिपोर्ट (रासायनिक और बैक्टीरियोलोजिकल), पेय गुणता की पुष्टि के लिए (केवल उत्पादन और प्रसंस्करण ईकाइयों के लिए अनिवार्य),
- परिसर पर कब्जे का प्रमाण (बिक्रीनामा/किरायानामा/बिजली का बिल इत्यादि) (ऐच्छिक),
- कंपनी के गठन के संबंध में पार्टनरशिप डीड/शपथ–पत्र/मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोशिएसन (ऐच्छिक),
- सहकारी समितियों के मामले में सहकारी समिति अधिनियम, 1861/बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 के तहत प्राप्त प्रमाण–पत्र (ऐच्छिक),
- उत्पादक से अनापत्ति प्रमाण–पत्र (रीलेबलरों और रिपैकरों के लिए अनिवार्य),
- खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली योजना अथवा प्रमाण–पत्र (यदि कोई हो) ,
- दूध और दुग्ध उत्पाद प्रसंस्करण ईकाइयों के मामले में दूध का स्रोत अथवा दूध की प्राप्ति की योजना, जिसमें दूध संग्रहण क्षेत्रों की लोकेशन आदि शामिल हो (जहाँ लागू हो),
- मांस और मांस प्रसंस्करण संयंत्रों के मामले में कच्चे मांस का स्रोत (जहाँ लागू हो),
- पैकेजबंद पेय जल, पैकेजबंद खनिज जल और/अथवा कार्बोनेटिड जल का उत्पादन करने वाली ईकाइयों के मामले में किसी मान्यता–प्रदत्त/जन स्वास्थ्य विभाग से जल में पेस्टीसाइड अवशिष्टों की रिपोर्ट,
- खाद्य वापसी योजना, जहाँ लागू हो, जिसमें इस बात का विवरण हो कि उत्पाद का वितरण किसे किया गया (ऐच्छिक),
- नगर निगम अथवा किसी स्थानीय संस्था से अनापत्ति प्रमाण–पत्र (ऐच्छिक)।

प्रश्न 29 : केंद्रीय/राज्य लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाण–पत्र का ढाँचा क्या है?

उत्तर :

क्रम सं0	श्रेणी				शुल्क (रु. में)
1	छोटे खाद्य कारोबारियों के लिए (पंजीकरण)				100
2	राज्य लाइसेंस	i	उत्पादक / मिलर	प्रति दिन 1MT से अधिक अथवा प्रति वर्ष 1000 से 50000 एलपीडी दूध अथवा 501 से 2500 MT दुग्ध ठोस पदार्थों का उत्पादन करने वाला उत्पादक	5000
				प्रति दिन 1MT से कम अथवा प्रति वर्ष 501 से 10000 एलपीडी दूध अथवा 2.5 से 500 MT दुग्ध ठोस पदार्थों का उत्पादन करने वाला उत्पादक	3000
		ii	होटल – 3 स्टार और बड़े		5000
		iii	सभी खाद्य सेवा प्रदाता, खाद्य सेवा प्रदान करने वाले रेस्टोरेंटों / बोर्डिंग हाउसों, क्लबों इत्यादि सहित, कैंटीन (स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, संस्था), कैटरर्ज, खाद्य कैटरिंग व्यवस्था वाले बैंकिट हाल, खाद्य विक्रेता, जैसे डब्बावाला इत्यादि।		2000
		iv	अन्य कोई खाद्य कारोबारी		2000
3	केंद्रीय लाइसेंस				7500
4	हवाई अड्डा / बंदरगाह				3000

क्रम सं0	श्रेणी	शुल्क (रु. में)
5	कोंकण रेलवेज	3000

प्रश्न 30 : दो से अधिक राज्यों में खाद्य कारोबार करने के लिए खाद्य कारोबारी को किसी लाइसेंस की जरूरत होती है?

उत्तर : दो से अधिक राज्यों में खाद्य करोबार करने वाले कारोबारी को अपने पंजीकृत कार्यालय/मुख्यालय के लिए केंद्रीय लाइसेंस लेना होता है और क्षमता/टर्नओवर के आधार पर संबंधित राज्य/केंद्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारियों से अलग लाइसेंस/पंजीकरण।

प्रश्न 31 : रेलवे परिसरों में काम करने वाले खाद्य कारोबारियों को लाइसेंस कौन जारी करेगा?

उत्तर : रेलवे परिसरों के अंतर्गत खाद्य कारोबारियों को एफ.एस.एस.ए.आई लाइसेंस/पंजीकरण रेलवे के अभिनामित अधिकारियों/खाद्य प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर अधिसूचित खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा जारी किए जाते हैं।

प्रश्न 32 : हवाई अड्डों/बंदरगाहों के परिसरों में काम करने वाले वाले खाद्य कारोबारियों को लाइसेंस कौन जारी करेगा?

उत्तर : बंदरगाहों/हवाई अड्डों के परिसरों के अंतर्गत खाद्य कारोबारों को एफ.एस.एस.ए.आई लाइसेंस खाद्य प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर अधिसूचित एपीएचओ/पीएचओ द्वारा ऑनलाइन एफएलआरएस प्रणाली से जारी किए जाते हैं।

प्रश्न 33 : लाइसेंस/पंजीकरण का गतावधि होने के बाद कैसे नवीकरण कराया जाए?

उत्तर : यदि खाद्य कारोबारी ने लाइसेंस/पंजीकरण के नवीकरण के लिए 60–30 दिनों के अंदर आवेदन न किया होता वह उसका नवीकरण नहीं करा सकता। लाइसेंस/पंजीकरण के गतावधि हो जाने के बाद खाद्य कारोबारी को उसे दुबारा जारी कराना होता है।

प्रश्न 34 : किन परिस्थितियों में आवेदन को रद्द कर दिया जाएगा?

उत्तर : अपेक्षित सूचना 30 दिन के निर्धारित समय में न दी जाने पर लाइसेंसिंग अधिकारी आवेदन को रद्द कर सकता है।

प्रश्न 35 : क्या आहारिक खाद्य और न्युट्रास्युटिकल बेचने वाले मेडिकल स्टोरों को लाइसेंस लेने की जरूरत है?

उत्तर : मेडिकल स्टोरों सहित सभी खाद्य कारोबारियों को एफ.एस.एस.ए.आई का लाइसेंस/पंजीकरण लेना होता है।

प्रश्न 36 : क्या निर्यात के लिए एफ.एस.एस.ए.आई से एन.ओ.सी की आवश्यकता होती है?

उत्तर : भारत से खाद्य निर्यात करने के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण से कोई एन.ओ.सी लेने की जरूरत नहीं है।

प्रश्न 37 : खाद्य कारोबारी एफ.एल.आर.एस में तकनीकी सहायता के लिए किससे संपर्क करे?

उत्तर : खाद्य कारोबारी निशुल्क नं0 1800112100 से संपर्क कर सकता है अथवा अपनी शंका licensing@fssai.gov.in को मेल कर सकता है। आगे, खाद्य लासेंसिंग और पंजीकरण प्रणाली (एफ.एल.आर.एस) के प्रथम पृष्ठ पर ''**आवेदन कैसे करें?**'' मेनु दिया गया है, जिसमें खाद्य कारोबारी के लिए केंद्रीय/राज्य लाइसेंस और पंजीकरण के लिए स्वयं आवेदन करने के लिए चरणवार सूचना दी गई है।

प्रश्न 38 : एक ही परिसर में भिन्न–भिन्न प्रकार की गतिविधियों के लिए लाइसेंस लेने संबंधी क्या अपेक्षाएँ हैं?

उत्तर : एफ.एस.एस.ए.आई लाइसेंस परिसर–आधारित लाइसेंस है। एक ही परिसर में विविध प्रकार की गतिविधियों को एकल एफ.एस.एस.ए.आई लाइसेंस में एंडोर्स किया जा सकता है।

प्रश्न 39 : एफ.एस.एस.ए.आई अथवा राज्य प्राधिकारियों को किस प्रकार की शिकायतें भेजी जा सकती हैं?

उत्तर :

- अधिनियम और विनियमों के उल्लंघन संबंधी शिकायत,
- खाद्य अपमिश्रण,
- खाद्य विषाक्तता,
- खाद्य संदूषण,

- भ्रामक लेबलिंग और पैकेजिंग,
- लाइसेंसिंग और पंजीकरण संबंधी शिकायतें,
- नकली उत्पाद,
- घटिया खाद्य उत्पाद,
- खाद्य कारोबारियों द्वारा अस्वच्छ अवस्थाएँ रखना और कुरीतियाँ अपनाना,
- राज्य और केंद्र के प्रवर्तन अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें,
- कतिपय खाद्य उत्पादों (उदाहरणार्थ सोफ्ट ड्रिंक, पान मसाला इत्यादि) पर प्रतिबंध के संबंध में शंकाएँ/सुझाव,
- खाद्य संघटकों का अप्राधिकृत प्रयोग,
- विविध प्रकार की शिकायतें, जैसे खाद्य उत्पादों का कम भार, किसी उत्पाद विशेष पर ऑफर और अन्य विभागों से संबंधी शिकायतें।

प्रश्न 40 : उपभोक्ता अपनी शिकायत किस प्रकार रजिस्टर करा सकता है?

उत्तर : उपभोक्ता एफ.एस.एस.ए.आई से विभिन्न माध्यमों से संपर्क कर सकते हैं। वे मिलावटी खाद्य, असुरक्षित खाद्य, घटिया खाद्य, खाद्य में लेबलिंग दोषों तथा विभिन्न उत्पादों से संबंधित भ्रामक दावों और विज्ञापनों संबंधी खाद्य सुरक्षा के मुद्दों के संबंध अपनी शिकायतें और फीडबैक रजिस्टर करा सकते हैं।

प्रश्न 41 : उपभोक्ता एफ.एस.एस.ए.आई से किन माध्यमों से संपर्क कर सकता है?

उत्तर :

- हेल्पलाइन (निशुल्क),
- फूड सेफ्टी वायस,
- एफ.एस.एस.ए.आई एप,
- ई—मेल,

- व्हट्सएप / एसएमएस,
- फेसबुक,
- ट्विटर,
- औपचारिक शिकायत,
- पहले समय लेकर मिलना,
- भ्रामक दावों और विज्ञापनों संबंधी मुद्दों के संबंध में गामा पोर्टल,
- सीपीग्राम पोर्टल,
- विभिन्न एसोशिएशनों, संगठनों, संस्थाओं इत्यादि से प्रतिवेदन।

प्रश्न 42 : राज्य स्तर पर शिकायतों का निपटान किस प्रकार किया जाता है?

उत्तर : शिकायत प्राप्त होने के बाद अभिनामित अधिकारी उसकी जाँच कर सकता है और नमूने लेने अथवा परिसर का निरीक्षण करने की आवश्यकता होने पर वह उसे संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी को भेज सकता है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी परिसर का निरीक्षण कर सकता है मामले के गुणावगुणों के आधार पर नमूने ले सकता है और अभिनामित अधिकारी को सूचना दे सकता है।